



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

"पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर -302 001

दूरभाष-0141-2220743 फ़ैक्स-0141-2223251

E-Mail. smc-raj@esicnic.in

Website- www.esicrajasthan.com

(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11 / टाइ-अप(सैकण्डरी) / एसएमसी / 2010 / १३३

दिनांक 06.07.2010

परिपत्र

विषय: Secondary Level of Medical Treatment के तहत टाइ-अप (Tie up) व्यवस्था बाबत ।

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: U-16/12/ 06/Raj./Med-II dated March 3, 2010 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत **लाभार्थियों (Beneficiaries)** के लिए निम्न विवरणानुसार प्राईवेट अस्पताल से **Secondary Level of Medical Treatment** हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था दो वर्ष के लिए की गई है:-

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	Udaipur	GBH Amrican Hospital, 101, Kothi Bagh, Bhatt Ji Ki Bari, Udaipur (Raj.)	12.07.2010 to 11.07.2012	Secondary Level of Medical Treatment

प्रक्रिया निम्नप्रकार से दर्शायी जा रही है:-

1. मरीज को बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 1- अशोक नगर-उदयपुर, नं. 2-मादरी-उदयपुर, नं. 3 सुखेर-उदयपुर व कराबी औषधालय-डबोक-उदयपुर, कांकरोली, ऋषभदेव व गुंजोल द्वारा रेफर (Refer) किया जाएगा।
2. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) द्वारा उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पताल में तभी रेफर किया जा सकेगा, जब वे पात्रता की शर्त पूरी करते हो।
3. उक्त वर्णित अस्पताल से टाइ अप Secondary Level of Medical Treatment के लिए दो वर्ष के लिए किये गये एग्रिमेन्ट दिनांक 07.2010 में वर्णित शर्तों के अनुसार किया गया है।
4. उक्त वर्णित टाइ अप अस्पताल (GBH Amrican Hospital, Udaipur) द्वारा मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था **राशि रहित (Cash less)** होगी।

कमशः 2

4/1/10
9/7

5. मरीज के इलाज के बाद पुनर्भरण बिल (पूर्ण मूल कागजातों सहित) भुगतान हेतु संबंधित टाइ अप अस्पताल द्वारा सीधे ही तुरन्त राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर को भेजा जाएगा।

11-14
(डॉ. वी. के. तनेजा)
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. चिकित्सा आयुक्त (मेड. II), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली।
2. प्रमुख शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन) शासन सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप की सूचना सभी संबंधित बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों, कराबी औषधालयों को दी जा रही है। अतः अनुरोध है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का श्रम करें।
6. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 1— अशोक नगर—उदयपुर
7. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 2—मादरी—उदयपुर
8. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 3 सुखेर—उदयपुर
9. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, डबोक—उदयपुर
10. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, भीलवाडा रोड, कांकरोली, जिला—राजसमन्द।
11. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, श्री रोशन लाल भानावत क मकान, महावीर नगर, बापू बाजार, ऋषभदेव, जिला— उदयपुर।
12. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, श्री किशन लाल शर्मा का मकान पंचायत समिति के पास, नई आबादी, गुंजोल, नाथद्वारा, जिला—उदयपुर।
13. श्री (सदस्य, क्षेत्रीय परिषद, कराबी निगम, राज. क्षेत्र)
14. उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर
15. उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाईट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
16. सहायक निदेशक (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
17. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर व कांकरोली को इस निर्देश के साथ कि आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी सदस्यों/नियोजकों/एम्पलाय एसोसियेशन/ ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में उक्त सूचना लावे एवं बीमितों व जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
18. संबंधित अस्पताल।
19. सूचना पट्ट।
20. गार्ड फाईल।
21. एक प्रति वैबसाईट पत्रावली।